न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी : : सरिता यादव ,RJS (DJ Cadre)

सेशन प्रकरण संख्या 08/2026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या सीआईएस नम्बर 48/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :: 181/2025 पुलिस थाना रामगढ सेठान

सीएनआर नम्बर RJSK160002732026

1. महेन्द्र सिंह पुत्र लूणसिंह उम्र 24 वर्ष, निवासी–वार्ड नंबर 19 रामगढ शेखावाटी, जिला–सीकर, राजस्थान।
2. जसवन्त उर्फ पिन्टू पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी जाव का मौहल्ला रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान

–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, फतेहपुर जिला सीकर राज०

–विपक्षी /अभियोगी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस

एफआईआर संख्या 181/2025 पुलिस थाना रामगढ सेठान

एफआईआर अंतर्गत धारा 61(2), 111(2)(b),111(3),111(4), 117(2), 118(2), 308(4), 351(2)(3) बीएनएस, 2023 व धारा 66, 66(C), 66(D), 66(F) IT ACT

आरोप अंतर्गत धारा 111(2)(b), 111(3), 111(4), 308(4), 308(4)/61(2)(क) एवं 351(3) बीएनएस, 2023

उपस्थिति:–

(1) श्री अरूण दाधीच, विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से ।

(2) श्री जय कौशिक, अपर लोक अभियोजक–राजस्थान राज्य की ओर से ।

–::आदेश::– **दिनांक :: 06.06.2026**

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण महेन्द्र सिंह का द्वितीय व जसवंत उर्फ पिन्टू का प्रथम जमानत आवेदन जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा–483 बी.एन.एस.एस. 2023 में प्रस्तुत किया गया है,जिसकी प्रतिलिपि अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई तथा बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण /अभियुक्तगण घरबारी व्यक्ति हैं जो रामगढ़ शेखावाटी का स्थायी निवासी है जिनके फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण को उपर्युक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है एवं उनके के विरुद्ध ऐसा कोई अपराध प्रथम दृष्ट्या बनना नहीं पाया जाता है जिसमें उन्हे मृत्युदण्ड अथवा आजीवन की सजा से दण्डित किया जा सके। प्रार्थी गण का किसी वीरेन्द्र चारण तथा रोहित गोदारा अथवा राहुल स्वामी (रिणाउ) से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही प्रार्थीगण का तथाकथित अन्य अपराधियों से किसी प्रकार का मैसेज व रैकी करवाने में कोई लेना –देना है। प्रार्थीगण की सह–अभियुक्त के साथ संलिप्तता अन्वेषण अधिकारी के दिमाग की उपज है प्रार्थीगण व अन्य प्रार्थीगण केवलमात्र एक गांव के निवासी होने के कारण प्रार्थीगण को मुकामी पुलिस द्वारा तथाकथित प्रकरण में गलत रूप से संलिप्त किया गया है। इसके अलावा प्रार्थीगण ना तो कभी सह–अभियुक्त से व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहा ना ही कोई टेलीफोनिक संपर्क में रहा है। प्रकरण के दो मुख्य गवाह गफ्फार गुटिया व जय कुमार के बयानों में प्रार्थीगण द्वारा उन्हें धमकी देने व किसी प्रकार की राशि की मांग करना नहीं बताया है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत रिकार्डिंग से भी प्रार्थीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या ही कोई अपराध होना नहीं पाया जाता है। पत्रावली पर जब्तशुदा पैन ड्राइव में रिकार्डिंग में प्रकरण के किसी भी अभियुक्तगण की आवाज नहीं है। अतः प्रार्थीगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह भी अंकन किया गया कि प्रार्थी महेन्द्र का इस प्रकरण में द्वितीय व जसवंत उर्फ पिन्टू का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है तथा अन्य किसी न्यायालय में कोई जमानत आवेदन पत्र लंबित नहीं है, पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है पत्रावली बयान मुलजिम की स्टेज पर है,पत्रावली के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त एसबी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं.1721/2015 विनय बघला व अन्य बनाम राजस्थान राज्य पेश किया है। अतः अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

3– उपर्युक्त तर्कों के खंडन में अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित होकर साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। अतः तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः उपर्युक्त जमानत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

4– सुनने व पत्रावली व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्याय निर्णय का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि दिनांक 11.11.2025 को परिवादी राजेन्द्र प्रसाद स. उप निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार गश्त के दौरान संकलित सूचना से यह तथ्य सामने आये हैं कि रोहित गोदारा गैंग व विरेन्द्र चारण के सक्रिय सदस्यों द्वारा रामगढ शेखावाटी एवं फतेहपुर क्षेत्र एवं आसपास के जिलों में व्यापारियों को फोन पर धमकियां देकर रंगदारी के रूप में बड़ी रकम वसूली जा रही है तथा यदि रंगदारी के रूप में रकम अदा नहीं की जाती है तो उनकी हत्या कर दी जाती है। रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य राहुल स्वामी उर्फ राहुल रिणाउ व विरेन्द्र चारण के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में सह –अपराधी व सह–अपराधियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में शामिल रहे अन्य अपराधी व्यक्तियों द्वारा आपराधिक गैंग बनाकर उपर्युक्त वसूली का प्रयास किया जा रहा है। धमकी देने वाले रोहित गोदारा व राहुल स्वामी उर्फ राहुल रिणाउ विदेश में रह रहे हैं एवं राहुल स्वामी व रोहित गोदारा गैंग तथा विरेन्द्र चारण के नाम से विदेशी नंबरों से वाट्स एप कॉल एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजकर इस थाने के क्षेत्राधिकार में निवासरत गफार गुटिया रामगढ शेखावाटी को धमकी देकर रंगदारी के रूप में दो करोड़ से पांच करोड़ रूपये की मांग की गयी है। इस आपराधिक सक्रिय संगठित गैंग के सदस्य लगातार इस तरह की घटनाएं कारित कर रहे हैं जिनके विरुद्ध इसी प्रकार के कई प्रकरण दर्ज होकर विचाराधीन हैं..इत्यादि।

5– उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना संख्या 181/2025 अपराध अंतर्गत धारा 61(2), 111(2)(बी),111(3),111(4), 117(2), 118(2), 308(4),351(2)(3) बीएनएस 2023 व धारा 66, 66(C)(D)(F) IT ACT में दर्ज कर बाद अन्वेषण अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र पेश हो चुका है तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त महेन्द्र सिंह व जसवंत उर्फ पिन्टू के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा–111(2)(b), 111(3), 111(4), 308 (4), 308 (4)/ 61(2) (क) एवं 351(3) बीएनएस, 2023 में आरोप विरचित कर और पत्रावली अभी बयान मुलजिम के स्तर पर है एवं पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र सिंह का पूर्व का निम्न आपराधिक रिकार्ड–

क्र. सं.	अ.स. मय दर्ज दिनांक	नाम थाना	धारा	सीएस मय दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	15 दिनांक 28.01.2022	रामगढ सेठान	147, 279, 336, 427 भादस	सीएस 22 दिनांक 31.03.2022	विचारण लंबित
2	44 दिनांक 17.03.2022	रामगढ सेठान	323, 341, 504, 34 भादस	सीएस 24 दिनांक 31.03.2022	विचारण लंबित

3	59 दिनांक 27.03.2022	रामगढ सेठान	147, 149, 448, 427, 435, 458, 323 भादस	सीएस 90 दिनांक 31.08.2022	विचारण लंबित
4	152 दिनांक 29.07.2022	रामगढ सेठान	147, 148, 149, 323, 341, 325, 307 भादस	सीएस 101 दिनांक 30.09.2022	विचारण लंबित
5	155 दिनांक 31.10.2024	रामगढ सेठान	189(2), 126(2), 115(2), 109(1) बीएनएस 2023 व 3(1)(आर), 3(1) (एस), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट पुलिस थाना रामगढ सेठान	सीएस 87 दिनांक 30.12.2024	विचारण लंबित

प्रार्थी/अभियुक्त जसवंत उर्फ पिन्टू का पूर्व का निम्न आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार से है–

क्रम सं.	अभियोग संख्या दर्ज दिनांक व थाना	नतीजा पुलिस	न्यायालय में स्थिति
1	मु.सं.25/2016 दिनांक 03.02.2016 धारा–143,341, 323, 452, 307 भादंसं.	सीएस नम्बर 102/2016 दिनांक 23.12.2016	एसीजेएम कोर्ट फतेहपुर/पेन्डिग
2	मु.नं.15/2022 दिनांक 28.01.2022 धारा 143, 323, 451,307 भदंसं पुलिस थाना रामगढ़ सेठान	सीएस नम्बर 22 दिनांक 31.03.2022 धारा 147, 279, 336, 427, भादंसं	एसीजेएम कोर्ट फतेहपुर/पेन्डिग
3	मु.नं.59 दिनांक 27.03.2022 धारा–143, 447, 323, 435, 354, 427, 509, 379 भादंसं	सीएस नम्बर 90 दिनांक 31.08.2022 धारा 147, 148,149, 448, 427, 435, 458, 323 भादसं	एसीजेएम कोर्ट फतेहपुर/पेन्डिग
4	मु.नं.06/21 दिनांक 06.01.2021 धारा–341, 392 पुलिस थाना सदर फतेहपुर	सीएस नम्बर 26 दिनांक 05.04.2021 धारा323, 341, 392 भादसं	एसीजेएम कोर्ट फतेहपुर/पेन्डिग

6– यद्यपि अभियुक्तगण दिनांक 11.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा आहत सहित सभी साक्षियों को परीक्षित किया जा चुका है किन्तु शेष अभियुक्तगण के जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा खारिज किये जा चुके हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में

संगठित अपराध व इसी से संबंधित अन्य अपराधों का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। इस स्टेज पर यह तय नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तगण आरोपित अपराधों में शामिलनहीं रहे व कोई कृत्य नहीं किया गया ऐसे में उक्त न्याय निर्णय से इस स्टेज पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को कोई सहायता नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित ऑर्गेनाइज क्राइम के षडयंत्र व दुष्प्रेरण तथा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडीकेट के सदस्य होने एवं इन गतिविधियों के संचालन के दौरान उद्वापन कारित किये जाने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाये जाने जैसे अपराध अंतर्गत धारा 111(2)(b), 111(3), 111(4), 308(4), 308(4)/61(2)(क) एवं 351(3) बीएनएस, 2023 की गंभीर प्रकृति एवं संपूर्ण समाज पर पड़ने वाले इनके व्यापक प्रतिकूल प्रभाव व पत्रावली के साथ संलग्न अभियुक्तगण के आपराधिक रिकार्ड के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

7– परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र लूणसिंह उम्र 24 वर्ष, निवासी–वार्ड नंबर 19 रामगढ शेखावाटी, जिला–सीकर, राजस्थान की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय व अभियुक्त व जसवन्त उर्फ पिन्टू पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी जाव का मौहल्ला रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर की ओर से प्रथम जमानत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–483 बीएनएसएस 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेश की प्रति निःशुल्क दी जावे तथा आदेश की प्रति अभियुक्तगण को सूचनार्थ संबंधित कारागृह को भी जरिये ईमेल प्रेषित की जावे।

(सरिता यादव)
अपर जिला सेशन न्यायाधीश,
फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर(राज०)

8– आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सरिता यादव)
अपर जिला सेशन न्यायाधीश,
फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर(राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.08 00:39:30 IST